सत्यमेव जयते

संख्या– /जी0एस0(शिक्षा)/**A16-15**/2025

प्रेषक,

**रीना जोशी**
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

**कुलपति,**
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय,
अल्मोड़ा।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : जुलाई, 2025

महोदय,

कृपया सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के पत्र संख्या–1095 दिनांक 04 मई, 2024 तथा अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 230517115931, प्रस्ताव क्रमांक 240115111601 तथा प्रस्ताव क्रमांक 240114093227 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा–33(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

| संस्थान का नाम | पाठ्यक्रम | शैक्षिक सत्र एवं सीट संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
| **स्व0 चन्द्र सिंह शाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपकोट, बागेश्वर** | **बी0ए0** (हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य, अर्थशास्त्र, चित्रकला, गृह विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र) | 267 | 267 | 267 |
| | **एम0ए0** (हिन्दी, गृह विज्ञान, चित्रकला एवं संस्कृत) | 40 प्रति विषय | –– | –– |
| | **एम0ए0** (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, चित्रकला एवं गृहविज्ञान) | –– | 40 प्रति विषय | 40 प्रति विषय |
| | **बी0एससी0** (गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान कम्प्यूटर विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) **नवीन अस्थाई सम्बद्धता** | –– | –– | 160 |

(1) महाविद्यालय को स्नातक(बी0ए0) एवं स्नातकोत्तर(एम0ए0) पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र



File No. RB-EDUC02/165/2024-RAJBHAWAN (Computer No. 1418)
Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 01/07/2025 03:30 pm

2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव आतिथि तक प्रेषित नहीं किये गये हैं। विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में दो माह के भीतर यथा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करे और तद्नुसार कृत कार्यवाही से राज्यपाल सचिवालय को भी अवगत कराया जाये।

(2) महाविद्यालय में बी0ए0, एम0ए0 एवं बी0एससी0 पाठ्यक्रमों में फैकल्टी मानकानुसार पूर्ण नहीं हैं। छात्रों के हित में फैकल्टी का पूर्ण होना अति–आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उच्च शिक्षा निदेशालय तथा विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि अग्रेत्तर सत्र के आरम्भ से सभी विषयों में फैकल्टी पूर्ण कराई जायें।

(3) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/ उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(4) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/ सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

**(रीना जोशी)**
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

**संख्या– (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A16-15 /2025 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

**(लक्ष्मण राम आर्य)**
अनु सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।



File No. RB-EDUC02/165/2024-RAJBHAWAN (Computer No. 1418)
Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 01/07/2025 03:30 pm